

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

### पंद्रहवां सत्र

शनिवार, 13 अगस्त, 2022/22 श्रावण, 1944 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

#### 1. प्रश्नोत्तर:

##### (1) तारांकित:

- (i) स्थगित } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे  
(ii) दिन के लिए } जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे।

##### (2) अतारांकित:

- (i) स्थगित } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के  
(ii) दिन के लिए } उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

#### 2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे:

(1) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार;
- (ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार;
- (iii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 (राज्य के वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार;

- (iv) हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014(2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा-54 के साथ पठित धारा 9(3) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, लोकायुक्त कार्यालय, गृह(सतर्कता) विभाग, अवर सचिव, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:गृह(विज)-ए(3)-2/2021(लोका)-नियम दिनांक 07.06.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.06.2022 को प्रकाशित;
- (v) हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014(2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा-54 के साथ पठित धारा 9(3) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, लोकायुक्त कार्यालय, गृह(सतर्कता) विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:गृह(सतर्कता)ए(3)-9/2016 लोकायुक्त (आर एण्ड पी)नियम दिनांक 07.06.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.06.2022 को प्रकाशित;
- (vi) हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा-54 के साथ पठित धारा 9(3) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, लोकायुक्त कार्यालय, गृह(सतर्कता) विभाग, वरिष्ठ निजी सचिव, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:गृह(विज)-ए(3)-3/2021(लोका नियम) दिनांक 18.06.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.06.2022 को प्रकाशित;
- (vii) हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा-54 के साथ पठित धारा 9(3) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, लोकायुक्त कार्यालय, गृह(सतर्कता) विभाग, निजी सचिव, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:गृह(विज)-ए(3)-6/2021(लोका.नियम) दिनांक 10.06.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.06.2022 को प्रकाशित;

- (viii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक(हिमाचल प्रशासनिक सेवा में रिक्तियों का आरक्षण, वेतन नियतन और वरिष्ठता का विनियमन) प्रथम् संशोधन नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:पर(ए-IV)-ए(3)-1/2018-I दिनांक 18.05.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.05.2022 को प्रकाशित;
- (ix) जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40(7) तथा वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक लेखे वर्ष 2018-19 व 2019-20 (विलम्ब के कारणों सहित);
- (x) जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21;
- (xi) हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971(1971 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 7 और 7-क के साथ पठित धारा 13 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के(मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) संशोधन नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:जीएडी-सी0-डी0(6)-1/2019 दिनांक 21.02.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.02.2022 को प्रकाशित;
- (xii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग हिमाचल प्रदेश का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19;
- (xiii) राज्य मानवाधिकार आयोग, हिमाचल प्रदेश के अधिनियम, 1993 की धारा-28 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21(01-04-2020 से 31-03-2020);
- (xiv) राज्य मानवाधिकार आयोग, हिमाचल प्रदेश के अधिनियम, 1993 की धारा-28 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22(01-04-2020 से 31-03-2021);

- (xv) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19;
- (xvi) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20;
- (xvii) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् के वार्षिक लेखे वर्ष 2018-19, 2019-20 व वर्ष 2020-21 एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 व वर्ष 2019-20; और
- (xviii) हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के प्रक्रिया और संचालन नियम 2004 के नियम-16 के उपनियम-12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 ।
- (2) श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-  
हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 43) की धारा-24 के साथ पठित धारा-110 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड विनियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:रैव-सी(एफ)9-4/2018-लूज़ दिनांक 28.06.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.06.2022 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।
- (3) श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम-3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-6 (1) और(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2014-2015 से 2017-2018 (01-04-2014 से 31-03-2018) (विलम्ब के कारणों सहित); और

- (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम-3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-6 (1) और(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 2020-21(01-04-2020 से 31-03-2021) ।
- (4) **डॉ० राम लाल मारकण्डा, तकनीकी शिक्षा मन्त्री**, नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी०पी०सी०) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2019-20 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।
- (5) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री**, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा 31 मार्च, 2018 एवं 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन; और
- (ii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् का वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 ।
- (6) **श्री विक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री**, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित के अधिनियम, 2013 की धारा-143 (6)(बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम के 47वें वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2019-20 (विलम्ब के कारणों सहित);
- (ii) संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग, उप-निदेशक(परिवहन) वर्ग-I(राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:टी०पी०टी०-बी(1)-1/2020 दिनांक 03.08.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.08.2022 को प्रकाशित;

- (iii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-143 (6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित का 53वां वार्षिक विवरण, वर्ष 2018-19(विलम्ब के कारणों सहित);और
- (iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, मुख्य निरीक्षक(बॉयलरज़), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-बी-बी002/8/2021 दिनांक 18.05.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.05.2022 को प्रकाशित ।
- (7) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री**, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग अधिनियम, 2010 की धारा 13(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19, 2019-20 व वर्ष 2020-21 की प्रतियां सभा पटल पर रखेंगे ।
- (8) **श्री सुख राम चौधरी, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री**, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(4) के अन्तर्गत ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

### 3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

- (1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2022-23)**, समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-
- (i) समिति का 163वां मूल प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 317वें कार्रवाई प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उच्चतर शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;
- (ii) समिति का 10वां मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 360वें कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उच्चतर शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

- (iii) समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 141वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;
- (iv) समिति का 163वां मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 275वें कार्रवाई प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि जनजातीय विकास शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;
- (v) समिति का 60वां मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 107वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि वित्त विभाग से सम्बन्धित है;
- (vi) समिति का 82वां मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 263वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि वन विभाग से सम्बन्धित है;
- (vii) समिति का 153वां मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 227वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि उद्योग विभाग से सम्बन्धित है;
- (viii) समिति का 26वां मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 197वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि जल-शक्ति विभाग से सम्बन्धित है; और

- (ix) समिति का 306वां मूल प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 264वें कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेतर कार्रवाई विवरण जोकि आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है।
- (2) श्री बलबीर सिंह, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2022-23), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 46वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और
- (ii) समिति का 47वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि जनजातीय विकास विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

#### 4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

- (1) श्री बिक्रम सिंह जरयाल, दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक "कसोल से चम्बा की युवती हुई लापता" से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्री अनिरुद्ध सिंह, दिनांक 7 अगस्त, 2022 को दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार शीर्षक "राजधानी शिमला में लम्पी स्किन डिजीज़ का कहर" से उत्पन्न स्थिति की ओर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

#### 5. विधायी कार्य :

##### सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

- (i) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि मंत्रियों, विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों पर आयकर के संदाय से सम्बन्धित उपबन्धों का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
- हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय विधेयक, 2022  
(2022 का विधेयक संख्यांक 8)
- वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।



- (ii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय हिमाचल प्रदेश न्यायालय(संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 13) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।  
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।
- (iii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 14) उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005(2005 का अधिनियम संख्यांक 14)का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।  
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।
- (iv) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश धर्म की हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 15) स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019(2019 का अधिनियम संख्यांक 13) का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।  
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।
- (v) **श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश अभिवृत्ति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 6) अभिवृत्ति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972(1974 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।  
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।
- (vi) **श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 9) जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 31) का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।  
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

- (vii) श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश नगरपालिका(संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 10) नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।  
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।
- (viii) श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 11) प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।  
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।
- (ix) श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 12) नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।  
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

## 6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

- (1) डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल (53-सोलन), प्रदेश के स्वायत्त निकायों में प्राथमिकता के आधार पर पूर्व सैनिकों को उनके पैतृक स्थानों के नजदीक तैनाती करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।
- (2) श्रीमती आशा कुमारी(4-डलहौजी), डलहौजी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत स्यूल नदी पर निर्माणाधीन पुल का जनहित में शीघ्रातिशीघ्र निर्माण करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगी।
- (3) डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल (53-सोलन), सोलन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गांव अनेछ, पटवार सर्कल बोहली, जिला सोलन के निवासियों हेतु निर्मित सिंचाई योजना का लाभ सभी किसान परिवारों को प्रदान करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

- (4) श्री नन्द लाल (66-रामपुर), रामपुर निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गांव खड़ेला, ग्राम पंचायत बगलती, तहसील ननखड़ी के श्री माटू राम मेहता के मकान टूट जाने के उपरान्त उनको प्रशासन द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (5) श्री नन्द लाल (66-रामपुर), रामपुर निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गांव छलान, ग्राम पंचायत ननखड़ी, जिला शिमला में चट्टान खिसकने से घरों को बने खतरे बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (6) श्री संजय अवस्थी (50-अर्की), शिमला शहर में रेलवे तथा केन्द्र सरकार की अनुपयोगी पड़ी भूमि का अधिग्रहण कर उस पर सरकारी कार्यालयों हेतु भवनों का निर्माण करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (7) श्री राजेन्द्र राणा(37-सुजानपुर), नगर परिषद् सुजानपुर टीहरा के अन्तर्गत वार्ड संख्या-8 के मध्य बह रहे नाले की चैनलाईजेशन हेतु जनहित में पर्याप्त बजट शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (8) श्री अनिरुद्ध सिंह (62-कसुम्पटी), शिमला शहर में हिमलैण्ड, पुराना बस अड्डा, विक्ट्री टनल की तर्ज पर ताराहॉल स्कूल के समीप भी फुटओवर ब्रिज का निर्माण जनहित में करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (9) श्री आशीष बुटेल (19-पालमपुर), प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पदों हेतु आय सीमा को 35,000/- रूपये से बढ़ाकर 50,000/-रूपये करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (10) श्रीमती आशा कुमारी(4-डलहौजी), डलहौजी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत खैरी से बग्गी हेतु हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा आरम्भ करने बारे विशेष उल्लेख करेंगी ।
- (11) श्री जगत सिंह नेगी(68-किन्नौर), प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों हेतु डॉक्टरों की पदपूर्ति जनहित में शीघ्रातिशीघ्र करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (12) श्री अरूण कुमार (15-नगरोटा), नगरोटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत उत्कृष्ट महाविद्यालय में प्राध्यापकों के रिक्त पड़े पदों पर जनहित में शीघ्रातिशीघ्र पदपूर्ति करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

- (13) श्री बिक्रम सिंह जरयाल (5-भटियात), शिमला स्थित कैंसर अस्पताल में Pet Scanning की सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ ही दूसरे चरण का भवन निर्माण कार्य को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (14) श्री रोहित ठाकुर(65-जुब्बल कोटखाई), जुब्बल-कोटखाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सरस्वती नगर में निर्माणाधीन सिंथेटिक ट्रैक हेतु शेष धनराशि शीघ्रातिशीघ्र जारी करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (15) श्री रोहित ठाकुर (65-जुब्बल कोटखाई), रोहडू परिचालन विद्युत वृत्त हेतु विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सामग्री उपलब्ध करवाने व ट्रांसफार्मर स्थापित करने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों पर जनहित में शीघ्रातिशीघ्र पदपूर्ति करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (16) श्रीमती रीता धीमान (7-इन्दौरा), इन्दौरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत घंडरा नामक स्थान पर जनहित में 33 के0वी0 सब-स्टेशन शीघ्रातिशीघ्र स्थापित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगी ।
- (17) श्री सुभाष ठाकुर (48-बिलासपुर), बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के अन्तर्गत स्वीकृत स्टेट लेवल खेलों इण्डिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, लुहणु स्टेडियम को शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

## 7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

- (1) श्री रोहित ठाकुर, प्रस्ताव करेंगे कि:  
"प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़ती स्वास्थ्य सुविधाओं पर यह सदन विचार करे।"  
\*\*(दिनांक 12 अगस्त, 2022 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी)
- (2) कर्नल इन्द्र सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि  
"सैनिक अकादमी बरछवाड़(सरकाघाट) में युवाओं के लिए Pre Coaching Classes शुरू करने पर यह सदन विचार करे।"

शिमला-171004

दिनांक: 12 अगस्त, 2022

यशपाल शर्मा,

सचिव ।

\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(पंद्रहवां सत्र)

शनिवार 13 अगस्त, 2022/ 22 श्रावण, 1944 (शक्) के लिए निर्धारित

"शुद्धिपत्र"

---

मद संख्या

शुद्धियां

---

तारांकित प्रश्न

कुल प्रश्न-35

\*5314

"माननीय सदस्य द्वारा वापिस लिया गया ।"

\*5316

"विलोप किये गए ।"

\*5334

शिमला-171004

दिनांक: 12.08.2022

यशपाल शर्मा,

सचिव ।

\*\*\*\*\*